कार्यालय महालेखाकार(लेखा व हक0)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

अनुस्मारक–2

पत्रांकः–ले.ह.–2 / 03 / नि.स.(प्र.) / ग्रुप–2 / 123 / 2023 / खंड–1 / 192 दिनांक 12 06.2023

सेवा में,

खण्डीय लेखाधिकारी / खण्डीय लेखाकार

सम्बन्धित खण्ड

विषयः–उच्चन्त एवं प्रेषण लेखाशीर्षों के अंतर्गत अवशेषों के निस्तारण के संबंध में।

सन्दर्भः–ले.ह.–2 / 03 / नि.स.(प्र.) / ग्रुप–2 / 67 / 2018 / खंड–1 / 762 दिनांक 16.02.2023 एवं ले.ह. –2 / 03 / नि.स.(प्र.) / ग्रुप–2 / 67 / 2018 / खंड–1 / 841 दिनांक 21.03.2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके माध्यम से इस कार्यालय के अभिलेखों में दीर्घकाल से चल रहे उच्चन्त एवं प्रेषण शीर्षों से सम्बन्धित अवशेष का निराकरण करने एवं इस सम्बन्ध में आप द्वारा किये गये प्रयासों से इस कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था(छायाप्रति संलग्न)। किन्तु आपके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अद्यतन अवगत नहीं कराया गया।

अतः आपको पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि अपने खण्ड में लम्बित उच्चन्त एवं प्रेषण शीर्षों से सम्बन्धित अवशेषों का समायोजन / निस्तारण की कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

यहां यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 में दिये गये प्रावधानो एवं उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करें तथा अनुस्मारक पत्र की प्रति अधिशासी अभियन्ता को भी प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

वरि0लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)

पत्रांकः–ले.ह.–2 / 03 / नि.स.(प्र.) / ग्रुप–2 / 123 / 2023 / खंड–1 / दिनांक 06.2023

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तनुसार लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

वरि0लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)